रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273631
CG-DL-E-19062026-273631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948
No. 436]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

सा.का.नि.487(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में सहायक रसायनज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय, रासायनिक संवर्ग, समूह 'ख' और समूह 'ग' भर्ती नियम, 2013 को, जहां तक वे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में सहायक रसायनज्ञ पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सहायक रसायनज्ञ भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा-, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूचित

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद / अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक रसायनज्ञ	90* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹47,600 – ₹1,51,100).	चयन पद	32 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**आवश्यक अर्हता:** मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान या विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान या भौतिक रसायन विज्ञान या अकार्बनिक रसायन विज्ञान या कार्बनिक रसायन विज्ञान या हाइड्रो-रसायन विज्ञान या औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या इन्टेग्रेटेड मास्टर डिग्री। **टिप्पण:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागु होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष **टिप्पण.-** केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षाकाल के सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(i) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत। (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पाकालिक संविदा भी हैं) द्वारा।	**प्रोन्नति:** विभागीय ज्येष्ठ तकनीकी सहायक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400/- रुपये) की श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित अयस्कों एवं खनिजों के रासायनिक विश्लेषण, मानक विलयनों एवं प्रयोगशाल अभिकर्मकों की तैयारी तथा प्रयोगशाला संबंधी कार्यों पर आधारित दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो। **टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें, से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।** **प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी। (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900–1,42,400/- रुपये) अथवा समकक्ष स्तर के पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष नियमित सेवा दी है; (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखता हो; और	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:** 1. **निदेशक (रसायन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण — अध्यक्ष;** 2. **अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण — सदस्य;** 3. **उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण — सदस्य** समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि **के संबंध में विचार करने के** लिए) में निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक (रसायन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - **अध्यक्ष;** 2. अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - **सदस्य;** 3. उप निदेशक (कार्मिक और प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - **सदस्य।**	**सीधी भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।**

			(ग) अयस्कों तथा खनिजों के रासायनिक विश्लेषण, मानक विलयनों और प्रयोगशाला अभिकर्मकों की तैयारी तथा प्रयोगशाला संबंधी कार्यों में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय् पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3:-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन-करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 4/1/2023-खान.II (भाग-I)]

गीतिका शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

G.S.R.487(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Mines, Geological Survey of India, Chemical Stream, Group 'B' and Group 'C' Recruitment Rules, 2013 in so far as they relate to the post of Assistant Chemist in the Geological Survey of India, Ministry of Mines , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Assistant Chemist in the Geological Survey of India, Ministry of Mines namely:-

1. **Short title and commencement. –**

   (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Geological Survey of India, Assistant Chemist, Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No Person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6 . **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age limits for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Chemist.	90* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix.	Selection post	Not exceeding Thirty-Two years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.	Essential Qualification: Master of Science or Integrated Master of Science in Chemistry or Applied Chemistry or Analytical Chemistry or Physical Chemistry or Inorganic Chemistry or Organic Chemistry or Hydro-Chemistry or Industrial Chemistry from a recognised University or institute. Note. – The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable	Two years for direct recruits. **Note. -** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration conducted by Geological Survey of India Training Institute for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government**.**	(i) Fifty per cent by direct recruitment through Combined Geo-Scientist Examination conducted by the Union Public Service Commission. (ii) Fifty per cent by promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**<u>Promotion</u>**: The departmental Senior Technical Assistant (Chemical) in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with two years regular service in the grade and having successfully completed two weeks' training programme conducted by Geological Survey of India Training Institute in chemical analysis of ores and minerals, preparation of standard solutions and laboratory reagents and laboratory related works. **Note**. - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract)**: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administration or	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director (Chemistry), Geological Survey of India – **Chairperson** ; 2. Superintending Chemist, Geological Survey of India – **Member ;** 3. Deputy Director (Personnel and Administration). Geological Survey of India – **Member.** Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director (Chemistry), Geological Survey of India – **Chairperson** ;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

			public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department or organisation; (ii) with two years' regular service rendered after appointment to the post in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits under column (7); and (c) having two years' experience in chemical analysis of ores and minerals, preparation of standard solutions and laboratory reagents and laboratory related works. **Note 1.-** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the last date of the receipt of applications.	2. Superintending Chemist, Geological Survey of India – **Member ;** 3. Deputy Director (Personnel and Administration). Geological Survey of India – **Member.**	

[F. No. 4/1/2023-Mines.II (Part-I)]

GEETIKA SHARMA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.19 14:42:19 +05'30'